न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 29/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री इलियास खान पुत्र आलम खान
मैसर्स आलम टी स्टॉल
वैशाली नगर, गुप्ता पान वाले के सामने, अजमेर .....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

2. श्री इलियास खान

आदेश

दिनांक 27.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2025 को जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथम अभियान के तहत जांच दल मैसर्स आलम टी स्टॉल, इलियास खान पुत्र श्री आलम खान, वैशाली नगर, गुप्ता पान वाले के सामने, अजमेर पहुँचे। जांच दल में रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, सोनल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मलित थे। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर का कार्मिक श्री प्रकाश सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह निवासी भीम ब्यावर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया–

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
	3196	BPCL	15.6	25.3	9.7

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस

जिला कलक्टर
अजमेर

सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 9.7 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भविष्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करूंगा। अतः प्रकरण को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.01.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू गैस मय 9.7 कि. ग्राम एल.पी.जी मय को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर